प्रकरण संख्या 13/2019 ओमप्रकाश व अन्य बनाम रामसिंह व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
10.07.2024	प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 15 ने एक वाद बाबत् अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि कस्बा आमेट में खाता संख्या 883 की आराजी नंबर 3589, 3713 कुल किता 2 रकबा 6.0550 हैक्टर भूमि स्थित है। पक्षकारान का हिस्सा वाद पत्र की कलम संख्या 3 अनुसार सभी सहखातेदार मौके पर अपने दर्ज हिस्से अनुसार काबिज हैं, किन्तु भूमि संयुक्त खाते में दर्ज होने से पक्षकारान भूमि का सही तरीके से उपयोग–उपभोग नहीं कर पा रहे हैं। अतः विवादित आराजियात का पक्षकारान के मध्य जमाबन्दी में दर्ज हिस्से व वाद पत्र की कलम संख्या 3 में वर्णित हिस्से अनुसार मीट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन किया जाकर खाते पृथक–पृथक किये जावें। अधिनस्थ न्यायालय ने दिनांक 25.07.2017 से वादी का वाद स्वीकार कर प्रारम्भिक डिक्री जारी की तत्पश्चात् प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के आधार पर दिनांक 29.11.2017 को अंतिम डिक्री जारी की, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रतिवादी संख्या 9 व 10 द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 19.03.2019 को प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 24 की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री कमलेश चौहान उपस्थित हुए, जबकि अपीलान्ट के ओर से अधिवक्ता श्री संजय सोनी उपस्थित हुए। शेष रेस्पोन्डेन्टगण बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया जाकर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विपक्षीगण के इशारे पर दिनांक 10.02.2019 को सूरतसिंह दसाणा प्रार्थीगण को उनके कब्जे शुदा भूमि से बेदखल करने पर उतारू हुए एवं झगड़ा किया। तब उक्त निर्णय व डिक्री की जानकारी हुई। जानबूझकर कोई विलम्ब नहीं किया गया है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे। ताईद में शपथ पत्र प्रस्तुत किया। हमने उक्त प्रार्थना पत्र पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय करने के दृष्टिगत न्यायहित में प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराते हुए बताया कि उक्त भूमि के संबंध में सूरतसिंह पिता चम्पासिंह दसाणा द्वारा अपीलान्ट्स व रेस्पोन्डेन्ट्स के विरूद्ध विभाजन व निषेधाज्ञा का वाद ग्राम आमेट के खाता संख्या 883 की आराजी नंबर 3589 मी. रकबा 6.3[illegible] हैक्टर व आराजी	

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:45:29 IST
Reason: SelfAttested

3713 रकबा 2.9600 हैक्टर के खातेदारान के मध्य विभाजन का वाद संख्या 18/2011 प्रस्तुत किया, जिसकी कोई तामिल अपीलान्टगण पर नहीं हुई एवं न ही उक्त प्रकरण की उन्हें जानकारी होने दी एवं अंतिम डिक्री दिनांक 01.02.2012 को प्राप्त कर ली। उक्त महत्वपूर्ण तथ्य को छुपाते हुए रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 15 द्वारा दूसरा वाद विभाजन का प्रस्तुत कर दिया, जो किसी भी सूरत में चलने योग्य नहीं होने से प्रारम्भिक स्टेज पर ही खारिज योग्य था, क्योंकि कानूनन उक्त भूमि बाबत् दूसरा निर्णय व डिक्री पारित ही नहीं की जा सकती। अपीलान्टगण जिस जगह काबिज थे उस अनुसार बंटवारा किया जाना चाहिए था, किन्तु अच्छी व कीमती भूमि रेस्पोन्डेन्ट को गलत तरीके से दिला दी गयी। मौके पर कब्जे अनुसार बंटवारा नहीं किया गया है तथा अपीलान्टगण को कम भूमि दी गयी है। अपीलान्टगण अपने हिस्से की काबिज भूमि पर भारी लागत लगाकर उसे समतल किया है तथा बाउण्ड्रीवाल बना रखी है, किन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त भूमि रेस्पोन्डेन्टगण को दिला दी गयी है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री निरस्त की जावे तथा पूर्व के कब्जे अनुसार पक्षकारों की उपस्थिति में पुनः विभाजन कराया जावे।

विद्वान राजकीय अभिभाषक ने प्रकरण में राजकीय हित निहित नहीं होने से प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर करने की प्रार्थना की।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर संलग्न विभाजन प्रस्ताव पर अपीलान्टगण के हस्ताक्षर नहीं है अर्थात विभाजन प्रस्ताव अपीलान्टगण की अनुपस्थिति में तैयार किया गया है। ऐसी स्थिति में उक्त विभाजन प्रस्ताव के आधार पर जारी अंकित डिक्री प्रथम दृष्टया प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय अधिनस्थ न्यायालय के प्रकरण संख्या 46/2015 में पारित निर्णय एवं डिक्री 29.11.2017 अपास्त किया जाकर पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि पक्षकारान की उपस्थिति में फर्द बंटवारा तैयार किया जाकर मौके पर पक्षकारान के कब्जे को ध्यान में रखते हुए विभाजन की अंतिम डिक्री जारी की जावे। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 12.09.2024 को उपस्थित रहें। निर्णय आज दिनांक 10.07.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:45:29 IST
Reason: SelfAttested

(...सिंह सांगावत)
...बन्ध अधिकारी
एव ... राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर